न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट कोर्ट सं0–08, सुलतानपुर

विशेष परीक्षण सं0642 /21

राज्य——————— बनाम ———— राजेश

अपराध सं0 60/21
धारा–8/21 एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट
थाना– धम्मौर
जिला– सुलतानपुर

<u>दिनांक– 09.08.2021</u>

वाद पुकारा गया। अभियुक्त राजेश जेरे हिरासत जिला कारागार, सुलतानपुर जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग उपस्थित तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक भी उपस्थित हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक ने अभियोजन पक्ष के कथन एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, उस साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसके द्वारा वह आरोप सिद्ध करना चाहते हैं।

आरोप के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/21 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है ।

तद्नुसार उपरोक्त धारा में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग इन्कार कर, विचारण की मांग की, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 24.08.2021 को पेश हो ।

दिनांक–09.08.2021 Sd-09-08-2021

अपर सत्र न्यायाधीश,/ विशेष न्यायाधीश
एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट कक्ष सं0–8,
सुलतानपुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट कोर्ट सं0–08, सुलतानपुर

विशेष परीक्षण सं0 642/21

राज्य-------- बनाम ---- राजेश

अपराध सं0 60/21
धारा–8/21 एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट
थाना– धम्मौर
जिला– सुलतानपुर

<u>आरोप</u>

मैं त्रिभुवन नाथ पासवान, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट कोर्ट सं08, सुलतानपुर आप अभियुक्त राजेश को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 02.03.2021 को समय 10.30 बजे बहद स्थान महेशरगंज नहर पुलियाा, थाना धम्मौर जिला सुलतानपुर में पुलिस तलाशी में आपके कब्जे से 45 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुआ, जिसको रखने का लाइसेंस आपके पास नहीं था। इस प्रकार आपने धारा–8/21 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद्द्वारा आप को आदेशित किया जाता है कि आप का विचारण उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

Sd-09-08-2021

दिनांक–09.10.2021

(त्रिभुवन नाथ पासवान)
अपर सत्र न्यायाधीश,/ विशेष न्यायाधीश
एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट कक्ष सं0–08,
सुलतानपुर।

अभियुक्त को जरिये वीडियो कान्फ्रेसिंग आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

Sd-09-08-2021

दिनांक–09.10.2021

(त्रिभुवन नाथ पासवान)
अपर सत्र न्यायाधीश,/ विशेष न्यायाधीश
एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट कक्ष सं0–08,
सुलतानपुर।